भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 931

दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मरीजों के अधिकारों को प्रदर्शित करना

931. श्री विष्णु दत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अस्पतालों में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य संबंधित दंडात्मक उपबंधों के पैनल प्रदर्शित किए जाते हैं जो अस्पताल के कर्मचारियों के विरूद्ध हिंसा करने वाले दोषी रोगियों और उनके परिचारकों पर लागू होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य बनाने की कोई योजना है कि वे रोगियों और उनके परिचारकों के सांविधिक अधिकारों के साथ-साथ अस्पतालों और उनके कर्मचारियों के सांविधिक कर्तव्यों को भी प्रदर्शित करें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ग) डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने और ड्यूटी पर मौजूद सभी स्वास्थ्यकर्मियों के बीच सुरक्षा की प्रभावी भावना पैदा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ **राज्य क्षेत्रों** को निम्नलिखित उपाय जारी किए गए हैं :

i) संवेदनशील अस्पतालों की सुरक्षा का प्रबंधन किसी नामित और प्रशिक्षित बल द्वारा किया जायेगा।

ii) विशेष रूप से कैजुएलटी, आपात स्थिति और अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में प्रभावी संचार/सुरक्षा उपकरणों के साथ सीसीटीवी कैमरे और चौबीसों घंटे त्वरित अनुक्रिया टीमों की स्थापना।

iii) निगरानी और त्वरित अनुक्रिया के लिए भली भांति सुसज्जित केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष।

iv) अवांछनीय व्यक्तियों के लिए प्रवेश प्रतिबंध।

v) हमलावरों के खिलाफ संस्थागत एफआईआर।

vi) प्रत्येक अस्पताल और पुलिस स्टेशन में डॉक्टरों की सुरक्षा करने वाले विधान का प्रदर्शन।

vii) चिकित्सीय लापरवाही की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।

viii) डॉक्टरों पर अत्यधिक बोझ/दबाव से बचने और वैश्विक डॉक्टर-रोगी अनुपात को बनाए रखने के लिए अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरना,

ix) बेहतर कैरियर संभावनाओं वाले प्रमुख और मेट्रो शहरों की तुलना में कठिन/दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने वाले डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए बेहतर बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और चिकित्सा उपकरण और अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन का प्रावधान आदि।

स्वास्थ्य और कानून एवं व्यवस्था राज्य के विषय हैं, अत: मरीजों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर को लागू करना और निगरानी करना संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का काम है (जैसा कि राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद द्वारा अनुमोदित है)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मरीजों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के 'क्या करें और क्या न करें' को अपनाने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एक पत्र जारी किया है, ताकि नैदानिक प्रतिष्ठान में सुचारू और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करते हुए मरीजों की मूलभूत शिकायतों और चिंताओं का समाधान किया जा सके।.

*****